(५५)
जिलाधिकारी महोदय के ई-मेल से प्राप्त

ई—मेल
कोर्ट केस/ निर्धारित तिथि 17—10—2024

No. 1553 / LBC/दि० - 19.10.24
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर
कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी
स्थानीय निकाय, जौनपुर

प्रेषक,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0
सेक्टर—7, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका मुगराबादशाहपुर
जनपद जौनपुर ।

संख्या 6/500 / 170/अकेन्द्रीत रिट/2024 लखनऊ दिनांक 18, अक्टूबर,2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 15967/2024 तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अभिकथन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया श्री सिद्वार्थ सिंह, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पत्र दिनांक 10—10—2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट (ए) याचिका संख्या 15967/2024 तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17—10—2024 (छाया प्रति संलग्न) को पारित किये गये आदेश के सम्बन्ध में है। मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :—

Hon'ble Piyush Agrawal,J.

In pursuance of the earlier order, learned Standing Counsel has obtain the instructions, which are taken on record.

On the strength of the instructions, he submits that clarification has been issued and accordingly, needful be done within a short period.

In view of the above, list this matter for further hearing as fresh on 24.10.2024.

It is made clear that in the event the required payment of 20% additional pension, along with its arrears due w.e.f. 30.05.2022, is not credited to the bank account of the petitioner before the next date fixed, the respondent nos. 1, 2, 3 & 5 shall appear in person before this Court on the date fixed.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त लिपिक (अकेन्द्रीयित सेवा), नगर पालिका परिषद, मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ने 80 वर्ष आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात 20 प्रतिशत पेंशन बढ़ोत्तरी नहीं किये जाने के कारण उक्त रिट याचिका योजित की गयी है उक्त रिट याचिका में विपक्षी संख्या—1 (प्रमुख सचिव, नगर विकास), विपक्षी संख्या—2 (निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0) विपक्षी संख्या—3 (निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज) एवं विपक्षी संख्या—5 (अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर) पक्षकार है। मा0 उच्च उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विपक्षी संख्या 1,2 3 एवं 5 को निर्धारित तिथि 24—10—2014 को याची का भुगतान नहीं होने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने क निर्देश दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या—न0पा0पें0/937 (2) दिनांक 18—10—2024 द्वारा उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1984, तृतीय संशोधन विनियमावली, 2006 एवं पंचम संशोधन विनियमाली, 2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार श्री तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव के परिवार को मृत्यु की अनुवर्ती तिथि से

रू0 9,000—00 (रूपये नौ हजार मात्र) एवं अनुमन्य मंहगाई राहत प्रतिमाह की दर से पारिवारिक पेंशन की पुष्टि की गयी है।

श्री तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव को दिनांक 16—12—2016 को अथवा उसके पश्चात प्राप्त किये गये पेंशन के आधार पर भुगतान की स्थिति में समायोजनोपरान्त अवशेष संशोधित पेंशन का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा दी गयी स्वीकृति के कम में श्री तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त लिपिक के पेंशन का परीक्षण कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में निर्धारित तिथि दिनांक 24—10—2024 के पूर्व भुगतान की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2— श्री सिद्धार्थ सिंह, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 17—10—2024 के कम में।

3— विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग—6, लखनऊ।

4— जिलाधिकारी, जौनपुर ।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

(46)

जिलाधिकारी महोदय के ई-मेल से प्राप्त
No. 1543 / LBC/दि० - 16.10.24
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-मुँगराबादशाहपुर
कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रभारी अधिकारी
स्थानीय निकाय, जौनपुर

प्रेषक,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0
सेक्टर–7, गोमती नगर, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य स्थायी अधिवक्ता,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

संख्या 6/843/

लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर,2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 15967/2024 तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अभिकथन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में श्री शरद चन्द उपाध्याय, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15–10–2024 (छाया प्रति संलग्नको सहित संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अभिकथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अवगत कराना है कि श्री तेजबहादुर लाल श्रीवास्तव दिनांक 30–04–2002 को नगर पालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर से लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, इनकी जन्मतिथि 01–05–1942 है। इनकी 80 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किया जाना है। तद्नुसार इनकी पेंशन दिनांक 01–05–2022 से 9000+1800=10800/– देय होती है, जिसकी संस्तुति नगर पालिका कार्यालय के पत्र संख्या 700/न0पा0प0/2023–24 दिनांक 19–09–2024 प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक न0पा0पें–583 दिनांक 08–04–2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्त कार्मिकों को 80 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त अतिरिक्त पेंशन की पुष्टि हेतु मार्ग दर्शन/दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं सचिव, नगर विकास विभाग, बापू भवन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है। मार्गदर्शन/दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कृपया संज्ञान लेना चाहें इसी सम्बन्ध में श्री तेज बहादुर लाल श्रीवास्तव, से0नि0 लिपिक द्वारा मा0 उच्च न्यालय में वा सं0 सी0एम0 डब्लू0पी0 15967/2024 दाखिल किया गया है । स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय का कियान्वयन वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का संशोधन विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 39/2016–सा–3–923/दस–2016'308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 (छाया प्रति संलग्न) एवं नगर विकास अनुभाग–6 के पत्र संख्या 3345–9–6–16–42मिस/95 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 सपठित उ0प्र0 नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली 2016 से संबंधित अधिसूचना संख्या 511/नौ–4–16–2टी0ए0सी0–08 दिनांक 01 मार्च,2016 का नियम 4(1)(क) में यह प्राविधान किया गये है कि–

4(1)(क) अधिवर्षिता, सेवानिवृत्त, अशक्त और प्रतिकर पेंशन, पारिवारिक पेंशन या उपदान की धनराशि की संगणना, ठीक उसी सूत्र के आधार पर की जायेगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश पालिका

(केन्द्रीयित) सेवा के पदधारियों पर लागू हैं और उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के लिए समय–समय पर जारी सुसंगत व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों से संबंधित संशोधन यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें ।

तत्क्रम में उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवानिवृत्तक लाभ (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 से संबंधित अधिसूचना संख्या अधिसूचना संख्या 511/नौ–4–16–2टी0ए0सी0–08 दिनांक 01 मार्च,2016 का प्रतिस्थापित नियम निम्नवत् हैः–

पेंशन के मासिक भुगतान की प्रक्रिया– मासिक पेंशन का भुगतान ई पेमेन्ट द्वारा अथवा **राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू** तत्समान नियमों के अनुसार अन्य सुसंगत प्रक्रिया द्वारा **किया जायेगा** ।

उपरोक्तानुसार श्री तेजबहादुर लाल श्रीवास्तव 80 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात 20 प्रतिशत पेंशन बढ़ोत्तरी हेतु पत्र दिनांक 15–10–2024 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया है तथा तदानुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(ऋतु सुहास)
अपर निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–6, लखनऊ।

2– श्री शरद चन्द्र उपाध्याय, स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 15–10–2024 के कम में।

(ऋतु सुहास)
अपर निदेशक।